



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक / अकादमी / संवत्सरा / 2017

भोपाल, दिनांक 15-12-2017


## अधिसूचना

साधुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0ए0 रासक, भोपाल को पत्र ( क्रमांक - 2478 / 08/मंत्रा/ आउशि /सम्ब./17 भोपाल दिनांक 03.11.2017) द्वारा जारी माजेशिख में विधायित कृत्य सीमा के तारतम्य में समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत निर्मित परिनिष्कन 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुसार सन् 2018-19 में नवीन अस्थाई संवद्धता एवं पूर्ण प्रवत संवद्धता की निरंतरता हेतु ( विधायित प्रपत्र ) में आवश्यक अधिलेखों एवं विधायित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिमा निम्नानुसार विधायित की जाती है :

क्र	सामान्य: व्यावसायिक पाठ्यक्रम	विधायित अंतिम तिथि
1	नवीन महाविद्यालय: नवीन पाठ्यक्रम: सीट वृद्धि / नवीन विषय, आगामी कक्षा प्रारंभ करने हेतु आवेदन (समाकल भाग-1,2,3 एवं इलाककेतर भाग-1,2) विद्यु क्र. 2 एवं 3 में उल्लेखित संकल्पों को छोड़कर)	31-03-2018
2	आधुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सिधु के प्रकरणों के निराकरण अथवा प्रवत अनुमति के साथ आवेदन (शासन द्वारा विधायित सिधु आवेदन शुल्क की 25 % राशि विलम्ब शुल्क के साथ देय होगी)	30-05-2018
3	उच्च शिक्षा द्वारा सिधु अस्वीकृत किये जाने पर शासन (प्रशासनिक) विभाग द्वारा अपील पर निर्णय उपरान्त जारी अजायबित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन (शासन द्वारा आवेदन हेतु विधायित शुल्क राशि की 25 % राशि विलम्ब शुल्क के साथ देय होगी )	30-06-2018
4	विकिस्ता शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम (केवल निरंतरता के प्रकरण)	30-04-2018
5	उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रम	30-04-2018
6	संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवत निरंतरता के प्रकरण (मूल शुल्क राशि का 25% अधिभार सहित)	30-06-2018

- नोट: (क) विकिस्ता शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रमों के विकिस्ता शिक्षा विश्वविद्यालय कलकतुर में व्यवहारण के सम्बन्ध में राजपत्र (दिनांक 06 नव 2011)के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।  
 (ख) समस्त आवेदन: रेवेरि: समस्त सीमा का प्रवत अधिभारित सुनिश्चित करें  
 (ग) विधि संकल्प के अन्तगत संबंधित शासकीय/अशासकीय विधि महाविधि सन् 2016-19 को अधिसूचना सूचक से जारी की जा चुकी है।  
 (घ) उक्त विधायित विधि के अन्तगत शासन द्वारा विवेक स्थिति में स.ओ.सी जारी किये जाने का व्यवहारण के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।  
 (च) संवद्धता की निरंतरता हेतु अज्ञुक्त उच्चिकार्यालय में उक्त की गई शुल्क राशि की रसीद आवेदन के साथ उपरोक्त करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

29.12

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15-12-2017

क्रमांक / अकादमी / संवत्सरा / 2017  
प्रतिनिधि

- 1- प्राचार्य / वीस, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के संबद्ध सम्बन्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय।
- 2- उपप्राचार्य के अन्तर स्थिति संरक्षण, भोपाल
- 3- अज्ञुक्त उच्च शिक्षा विभाग संरक्षण, भोपाल
- 4- आधुक्त उच्च शिक्षा विभाग संरक्षण, भोपाल
- 5- अधिका संवातक राष्ट्रीय अज्ञुक्त विधि संरक्षण, शिक्षा-मानस भवन, भोपाल
- 6- महाविद्यालय संबंधी शिक्षा सहायता भवन, भोपाल
- 7- वीस/वीस एड, विकिस्ता शिक्षा सहायता भवन, भोपाल
- 8- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 9- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 10- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 11- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 12- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 13- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 14- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल
- 15- वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, वीस/वीस एड, भोपाल

  
रूप कुलसचिव (अकादमी)

-: निर्देश :-

1. निर्धारित समय सीमा में (आवश्यक शुल्क राशि, अभिलेखों सहित) केवल ऑन-लाईन प्रस्तुत संबद्धता आवेदनों पर ही कार्यवाही की जावेगी।
2. पूर्व वर्षों का संबद्धता शुल्क शेष होवे पर, उसे जमा करने के उपरांत ही सत्र 2018-19 के आवेदनों पर कार्यवाही की जाना संभव होगा।
3. म.प्र. शासन एवं अन्य विद्यामय संस्थाओं की अनुमति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत चयनित प्राचार्य/ सहायक प्राध्यापकों अथवा जानकारों द्वारा विचार निरूपित आदेश, उनके ज्वॉइनिंग, वेतन भुगतान संबंधी, (जो बैंक के माध्यम से किया गया हो) बैंक स्टेटमेंट सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. महाविद्यालय के आय व्यय पत्रक (पिछले तीन वर्ष) की (गार्ड्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित) प्रति संलग्न करना होगा। नवीन महाविद्यालय संचालक, संस्था के अभिलेख प्रस्तुत करें।
6. समन्वय समिति की 93वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिन अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत नहीं की गई है, उनके संबद्धता/निरंतरता आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. सभी आवेदकों को विश्वविद्यालय की Web site- [bubhopal.ac.in](http://bubhopal.ac.in) पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र तथा संबद्धता शुल्क की राशि On-Line जमा करने के उपरांत उसकी रसीद का Printout संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त अभिलेखों के अभाव में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
8. परिनियम 27 एवं 28 के उपबंधों की पूर्ति अनिवार्य है।
9. महाविद्यालयों हेतु परीक्षा शाखा द्वारा आवंटित कालेज कोड से परीक्षा शुल्क जमा होती है उसी कोड नं. के माध्यम से संबद्धता शुल्क जमा की जावेगी।
10. पिगत वर्षों की शेष संबद्धता शुल्क राशि भी आन लाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
11. पोर्टल के प्रावधानानुसार प्रत्येक संकाय (सामान्य पाठ्यक्रम/शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा/प्रबंध/विधि/चिकित्सा) के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र/शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
12. संबद्धता आवेदन पत्र में महाविद्यालय द्वारा उल्लिखित एफ.डी.आर. जो डि0वि0 में जमा की गई हो की सत्य प्रतिलिपि जमा करना आवश्यक होगा।
13. पोर्टल चार्जस अनिवार्यतः पृथक से देय होगा।

  
उपकुलसचिव अकादमी

8